[श्री मधु लिमये]

कानून के रूप में लाने के बजाए आप ने अनुदारता का परिचय दिया। इसलिए पूरे राज्य सभा का विवाद पढ़ने के बाद मेरे मन पर बहुत असर हुआ। और उस वक्त हल्ला किया गया कि यह मोनोगैमी के खिलाफ मामला जा रहा है। यह हल्ला कर के यह उदारवादी जो प्रथा है इस को खत्म कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोनोगैमी का और उस का क्या सम्बन्ध है? बच्चा ऐनकरेज करता है क्या इल्लेजिटिमेसी? बच्चा और बच्ची तो नहीं करते हैं। तो आप लोग सजा किन को दे रहे हैं? आप जिन को सजा देना चाहते हैं उनको तो दे ही नहीं रहे हैं।

इस के मामले में अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड में एक अर्से से बच्चों के बारे में जो कानून हैं उन में एक अर्से से परिवर्तन होता जा रहा है? और "चाइल्ड ला" नाम से जो किताब मैंने पढ़ी है उस से पता चला कि इस तरह की दो संततियों में जो फ़र्क किया गया है वह इंग्लैंड के कानून में अब खत्म हो गया है। इसलिए अनौरस और औरस बच्चों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है वह अंग्रेजी कानून की निगाह में खत्म हो गया है।

इसलिए हमारी प्राचीन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए अगर इसके बारे में गहराई में जा कर सोचेंगे, और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि इस का सभी पहलुओं से विचार होना चाहिए, दूसरे जो कानून हैं उन के बारे में भी विचार होना चाहिए, तो मैं उन की भावना से सहमत हूं और इसलिए इन का संशोधन मानने से मुझे कोई एतराज नहीं है। मंत्री महोदय से केवल इतनी ही प्रार्थना है कि जिस उदारवादी दृष्टिकोण से इस विधेयक पर हम लोग विचार कर रहे हैं उसी की रोशनी में आप लोग हिन्दू सक्सेशन एक्ट, हिन्दू अडाप्शन एक्ट, हिन्दू मैरिज एक्ट, या दूसरे जो भी कानून हैं उन पर भी विचार कीजिए, मैं गैर-हिन्दू लोगों के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी राय है कि उन के समाज के जो सुधारक हैं उन्हें ही इस में पहल करनी चाहिए। अगर मैं बोलूंगा तो गलतफ़हमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इस के पीछे मेरा जो मंशा है यदि उस को मदन मानने को तैयार है तो इन के संशोधन को मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Mr. M. C. Daga may please move his amendment to his amendment.

SHRI M. C. DAGA: Under rule 145, I beg to move the following amendment to my amendment:

*for* "3rd August, 1974." *substitute* "4th December, 1974."

MR. CHAIRMAN: The consent is given under the rule, and the amendment has been moved.

The question is:

*for* "3rd August, 1974." *substitute* "4th December, 1974"

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 4th December, 1974."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: No other motion is necessary with regard to this Bill at the moment.

---

**16.37 hrs.**

## SECOND WAGE BOARD RECOMMENDATIONS FOR SUGAR INDUSTRY BILL

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): I beg to move:

"That the Bill to provide for implementation of the recommendations of the Second Wage Board for Sugar Industry in India and to make it statutory with a view to maintain industrial peace in Sugar industry in the country, be taken into consideration."

Mr. Chairman, Sir, the second Wage Board Recommendations for Sugar Industry Bill, 1971 was introduced in the year 1971, when the workers were denied the right to receive an enhanced DA from the sugar millowners even after 1971; and in that very note given in that report, it had been mentioned that the Government requested the millowners to implement the Wage Board recommendations. Therefore, in view of the necessity for expeditious implementation of the Wage Board recommendations, it became necessary to bring such a Bill in this august House.

The Government also, several times in the past, made a declaration to the effect that all the Wage Board recommendations relating to the coalmines, tea plantation workers, journalists and so many others should be implemented. In about 12 to 13 cases where the Wage Boards were set up, it was found from experience that the millowners in every field were not going to implement and respect the recommendations of those Wage Boards. Therefore, in 1972, the Government made an announcement that they were going to make all these recommendations relating to all those 12 to 13 Wage Board recommendations statutorily binding on the owners so that their expeditious implementation could easily be achieved. But the Government, after so many years, did not bring any Bill to that effect.

Here, in this case, as far as the present Bill is concerned, certain facts are necessary. It was published on 8-7-1970, and this was to be implemented. It was to come into force from 1-11-1969. This was to remain in force up to 30-10-74. So, the question arose, whether now, at this stage, it has any significance. Yes, it has its own significance. In Andhra, these Wage Board recommendations were implemented from 1972. In Orissa, in all the three sugar mills, they were implemented only from 1-11-72 and in many other States, they were implemented only from 1-11-71. This is also evident from the request made by the National Federation of Cooperative Sugar Industries to all its constituent factories, that at least they should pay the wages and enhanced DA, according to the Wage Board recommendations, from 1971. There was a circular order to that effect from the Federation. Therefore, the cooperative sugar industries in certain cases, not in all, implemented the Wage Board recommendations from 1971. Now, the enhanced DA and other amenities which the workers were entitled to, under the Wage Board recommendations, were due to them from 1st November, 1969 till 1971 in some cases and till 1972, in some other cases. So, arrears are now due and this runs into crores of rupees, in the shape of enhanced DA. The workers were deprived of this during the years 1969 to 1972. Therefore, once it is made statutorily binding on the mill-owners, it will be very easy for the workers to recover these arrears which amount to crores of rupees. So, what I want to stress is, for the purpose of payment of arrears, it becomes absolutely necessary that the Bill has to be passed here.

Now, since 1957 these Wage Boards were set up and it took 14 years for the Government to realise that the Wage Board recommendations are not going to be implemented expeditiously—14 years—and during these 14 years, as far as the sugar industries are concerned, they have been fleecing the workers. We know, how they are fleecing the consumers by increasing the price of sugar, and by paying less to the cane growers. The amounts to be paid to the cane growers are in arrears. My friend, Mr. Narsing Narain Pandey has made a categorical statement here that till today, the amounts due to the cane growers, which are in arrears, amount to more than Rs. 52-54 crores. The sugar mill owners have not paid the arrears, even though

[Shri D. K. Panda]

sugar was supplied sometime ago. So, the present arrears amount to about Rs. 54 crores. These sugar mill owners have been exploiting the consumers, workers and the cane growers—it is a three pronged attack--and they have also been exploiting the Government Exchequer by not paying the road cess excise duty and other duties. Thus, if we give them a handle, they will continue their exploitation. They have continued this exploitation for the last more than hundred years. Even after independence the same policy has continued. Even though the Government make tall talk of the nationalisation of the sugar industry, which is considered to be a panacea, they are not forthcoming with any Bill for the nationalisation of the sugar industry. Even though the UP Government have sent a draft Bill to the Centre, they have not received the comments of the Central Government so far. What is the reason for this delay? All the three parties, namely, the sugarcane growers, the workers in the sugar mills and the consumers, all these three are being exploited for years together and the beneficiaries are sugar barons like Nivedia, Modi or Birla, who have earned profits to the tune of Rs. 172 crores. Why should we not nationalise this monopoly sugar industry?

On the 16-2-73 all the three central trade unions, namely, the INTUC, AITUC and HMS, passed a resolution demanding the immediate nationalisation of the sugar industry. So, unless the Government have some deliberate intention not to do so, unless they have some secret relationship with the sugar lobbies, unless they have succumbed to the pressure or blackmail of the sugar barons, there is absolutely no reason for not nationalising the sugar industry, which is in the private and co-operative sector.

Government are now depending on the Industries (Development and Regulation) Act for dealing with the sugar industry. Whenever any mill is sick, they take it over by paying Rs. 3 crores to 4 crores to the sugar magnates even though they may not be worth more than Rs. 50 lakhs because the machinery is old.

MR. CHAIRMAN: He is going outside the scope of his Bill.

SHRI D. K. PANDA: I am trying to show that unless there is nationalisation of the industry, the object cannot be achieved. Anyhow, I will not deal with that aspect.

The policy so far followed by the Government have given encouragement to the sugar barons to exploit the workers, who are the lowest paid workers compared to any other industry in India. The sugar industry being the second biggest industry, next only to cotton textile industry, if it is taken over lakhs and lakhs of workers will be benefited. Therefore, I request that this demand for nationalisation should be accepted.

I demand only three things. Firstly, it should be statutorily made binding so that the workers can realise them. Secondly, the Government should immediately come forward with a Bill for the nationalisation of the sugar industry.

MR. CHAIRMAN: That is not in your Bill.

SHRI D. K. PANDA: I am suggesting that to the Government. The Government should completely free itself from any such criticism that they are hand in glove with the forces which are against nationalisation and that, only at the time of elections, they declare that they will come forward with a Bill for nationalisation of sugar industry. Be done with it for all times to come. It is only to save the face of the Government that I am saying these things. Let the wisdom dawn on them.

Now, the third thing is that on 6th December, 1973, a tripartite body was set up and they gave some interim relief to the sugar industry workers. The Government, at that time, promised that this interim relief will continue till June, 1974 and, before that, a bipartite machinery will be set up for wage revision in view of rise in prices of every thing. The Government made a promise that a bipartite machinery will be appointed. Though four months have elapsed, the bipartite machinery has yet to be set up. We are left only with two months and, by June, the interim relief award given by the tripartite body will come to an end. So, I demand that immediately a bipartite machinery should be set up and it should be directed to submit its award within a period of two months, not beyond that.

With regard to the demand made by the all-India Cane Growers Association also, in this connection, because the workers are very low paid, with regard to their wages, with regard to bonus and other things, I demand that the all-India Cane Growers Association's demand should be accepted. Most of the Congress people also participated there. The INTUC which is the Central trade union organisation has also demanded it. So, in view of the demand made by the entire country, by their own party people also, the progressive elements and also by the INTUC and the all-India Cane Growers Association, I hope, the Government will not come forward with any evasive reply on the question of nationalisation of sugar industry.

Every time, Mr. F. A. Ahmed, made a declaration that after the Bhargava Committee submits the report, the Government will immediately take into consideration the question of nationalisation of sugar industry. But after the receipt of that very report, though several months have elapsed, still nothing has come out. On the other hand, in the form of rebate in excise duty, in the form of cane arrears, in the form of increase in price of sugar, so many avenues were left open for the sugar barons to fleece the people of the country and to loot the Government revenues.

With these words, I once more demand the nationalisation of sugar industry.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to provide for implementation of the recommendations of the Second Wage Board for Sugar Industy in India and to make it statutory with a view to maintain industrial peace in Sugar industry in the country, be taken into consideration."

**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** (मंदसौर): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विधेयक के उद्देश्यों में बताया गया है कि शुगर मिल-मालिकों या प्रबंधकों के द्वारा शुगर के द्वितीय वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। कई राज्यों में उन को लागू किया गया है और कुछ राज्यों में आज तक उन को लागू नहीं किया गया है। कुछ शुगर मिलों के अपनी इच्छानुसार अलग अलग तिथियों से, किसी ने 1971 से और किसी ने 1972 से, उन सिफारिशों को लागू किया है। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि शुगर मिलों के प्रबन्धक उन सिफारिशों को अपनी इच्छानुसार मनमाने ढंग से लागू करने के लिए स्वतंत्र न रहें, बल्कि उन को निश्चित रूप से लागू किया जाए। इस विधेयक के द्वारा वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया को कानूनी रूप दिया गया है।

वेज बोर्ड द्वारा जिस को जो पद दिया गया है, कई शक्कर मिलें वह पद नहीं देती हैं और न ही उस के अनुसार वेतन देती है। मध्य प्रदेश में ऐसे अनेक शक्कर मिलें हैं, जिन के बारे में

[डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय]

मैं ने पहले भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। यदि वहां का कोई कर्मचारी आयलमैन है, तो आज भी उस को कुली बना कर रखा जाता है और कुली का ही वेतन दिया जाता है। वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को लागू करने के बाद जो काम किसी व्यक्ति से लिया जाता है, उस के पद का निर्धारण उसी के अनुसार होना चाहिए और उस वेतन भी उसी के अनुसार देना चाहिए। लेकिन शुगर मिलों द्वारा उस को किसी भिन्न काम का ग्रेड और पद दिया जाता है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई ऐसी शक्कर मिलें हैं, जिन्होंने वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को लागू करने में काफी टाल-मटोल की है, और राज्य सरकारों द्वारा दबाव डाले जानेके बाबजूद उन को लागू नहीं किया है।

आज शक्कर इंडस्ट्री लाखो नहीं, करोड़ों रुपये कमाने में व्यस्त है, लेकिन न तो वह अपने मजदूरो को उचित वेतन और पर्याप्त सुविधायें देती है और न किसानो को न्यायोचित रूप में भुगतान करती है। इस बारे में हमेशा यह मांग की जाती है कि किसानो को उनके गन्ने का उचित दाम मिलना चाहिए, लेकिन शक्कर मिल-मालिक किसानों को भुगतान नहीं करते हैं। आज भी उन पर करोड़ रुपयों की बकाया है? दूसरी तरफ़ वे लोग फ्री सेल शुगर के दाम बढ़ा कर बहुत लाभ उठा रहे हैं।

शक्कर उद्योग में जो लाखो मजदूर काम कर रहे हैं, उन के बारे में वेज बार्ड की सिफ़ारिशों को कानूनी जामा पहनाकर लागू किया जाये, तो इस विधेयक का मंशा पूरा हो सकता है।

आज ही मुझे जावर शूगर मिल के कर्मचारियों की परफ़ से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिस में कहा गया है:

"We submit to state that the relevant grades, i.e., Clerical Grade I for Bankatlal Sureka, Supervisory B for Rafat Mohammad Khan and Welder I for Arjun Kumar R. Sharma, respectively, may kindly be awarded to us with retrospective effect from the date of implementation of the II Wage Board without any delay."

यह इस बात का एक उदाहरण है कि कई शक्कर मिलों ने द्वितीय वेज बोर्ड की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में एक गोविन्दराम तोदी शुगर मिल, महिदपुर, है। वहां के मजदूर संघ के प्रधान मंत्री का एक पत्र मेरे पास आया है। उन लोगों ने मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त से भी शिकायत की है कि उस मिल के मालिक द्वितीय वेज बोर्ड की सिफ़ारिशों को लागू नहीं कर रहे हैं, जिस से मजदूरों को बहुत हानि हो रही है।

**17.00 hrs.**

द्वितीय वेज बोर्ड की सिफारिशों को 1-11-69 से लागू किए जाने की बात कही गई है, लेकिन उन को कहीं 1971 में लागू किया गया है और कहीं 1972 में लागू किया गया है। कई मिल-मालिकों ने आज तक उन को लागू नहीं किया है, और अगर किया भी है, तो कुछ लोगों को आज तक छोड़ रखा है।

इस प्रकार की स्थिति नहीं लानी चाहिए और इस प्रकार विधेयक में जो प्रस्तावित है उस का कानूनी स्वरुप हो जाता है तो फिर वे मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगें। न श्रम आयुक्त की उस को शिकायत करनी पड़ेगी न हमारे श्रम मंत्री महोदय को उस की शिकायत करनी होगी। एक तरफ तो यह स्थिति है कि शुगर मिल मजदूरी की हालत खराब हो रही है और दूसरी तरफ बाजार के अन्दर बढ़ती हुई मंहगाई है, अन्न का अभाव है, सारी उपभोक्ता वस्तुओं की कमी है। उस के रहते हुए आप ने अन्तरिम राहत के नाम पर शक्कर मिलों में काम करने वाले मजदूरों को कुछ दिया या वह बहुत थोड़ा है? लगभग 3 लाख से ऊपर मजदूरों को संख्या बनती है। अगर हम सारे देश के मजदूरों की संख्या दें

तो बहुत बड़ी संख्या में शक्कर इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। वे लाखों टन शक्कर पैदा करते हैं और उसे आप बाहर निर्यात भी करते हैं। जिन मजदूरों के द्वारा हम बाहर शक्कर का निर्यात कर के विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं उन के हितो का संरक्षण हम नहीं कर पाये हैं बावजूद इस के कि हम ने इस प्रकार की सिफारिश की है। हम ने अन्तरिम राहत की बात की है। जून 1974 के अन्दर अन्तरिम राहत की बात समाप्त होने जा रही है। आप ने कोई ऐसी मशीनरी अब तक बनाई नहीं है जो आगे इन के बारे में विचार कर सके कि आगे चल कर इन मजदूरों की वेतन-वृद्धि किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से इनके मंहगाई भत्ते के अन्दर वृद्धि हो सकती है? इन को और कौन से लाभ मिलने वाले हैं? इन सारी बातों के ऊपर और इन सारी परिस्थितियों के ऊपर आप ने विचार नहीं किया है। द्वितीय वेतन आयोग से भी वे अभी तक पूरी तरह लाफान्वित नहीं हो पाए है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि जहां तक शक्कर मिल मालिकों का सम्बन्ध है आप कड़ाई से इस चीज को कानूनी स्वरुप दे कर उनसे उनका पालन नहीं करवाते हैं तो ये मनमानी करेंगे। ये मजदूरों के पदों के अन्दर भी परिवर्तन करते हैं जैसा मैं ने बताया कि ड्राइवर है तो उस को कुली बना कर रखा है, आयलमैन से तो उस को जमदूर बना कर रखा है। अगर आप चैक करे तो कई शक्कर मिलों के अन्दर इस प्रकार की बात सामने आ सकती है। इस प्रकार से भी वे मिल मालिकों लाखो रुपया नाजायज तौर से कमा रहे हैं और मजदूरों का अहित कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि इन सारी सिफारिशों को लागू करने के पहले एक ऐसी मशीनरी हो जो जाकर सब जगह देखे। राज्योंके ऊपर आप छोड़ते हैं कि राज्यों के श्रम विभाग हैं। लेकिन राज्यों के श्रम विभाग वाले इन बातों पर कई बार ध्यान नहीं देते हैं। आप उन को निर्देश दे सकते हैं कि वे ठीक प्रकार से इस को देखें और जो मजदूरों की शिकायतें हैं उन को दूर कराएं। जो कानून है उसका ठीक तरह से पालन हो रहा है या नहीं इस बात को वे देखें। केवल वेज बोर्ड का सवाल ही नहीं, दूसरे मामले भी हो सकते हैं, प्राविडट फंड के मामले हो सकते हैं, और दूसरे मामले भी हो सकते हैं। लेकिन यह चूंकि वेज बोर्ड से ही संबंधित है इसलिए इस समय मैं केवल इसी के ऊपर अपने विचार सामने रखना चाहता हूं कि जानबूझ कर इस का पालन न करने की दृष्टि से और मजदूरों को इस का लाफ न मिले इस दृष्टि से वे ऐसी कर रहे हैं और मेरा आप से निवेदन है जिन जिन मिलों के अन्दर ऐसा हो रहा है चाहे वह मध्य प्रदेश की महिदपुर मिल हो या जावरा की मिल हो, राजस्थान उड़ीसा या आन्ध्र प्रदेश की मिल हो उन सब को आप देखें कि 1969 से इस की सिफारिशों को लागू करने की बात कही गई है, 1969 से जिन्होंने इस को लागू नहीं किया है उन से इस को लागू करवाए और मजदूरों को 1969 से इन का लाभ मिले, इस बारे में आप उन को आदेश दें और इस को कानूनी स्वरुप दे ऐसा मेरा मत है। क्योंकि आज शक्कर मिलों में काम करने वाले मजदुरों की स्थिति ठीक नहीं है उनका शोषण हो रहा है? आप इनका शोषण बन्द करें, उनके हितों का संरक्षण करें।

SHRI B. V. NAIK (Kanara): I have gone through the Bill presented by Shri (D. K.) Panda. As far as the wording of Shri Panda's Bill is concerned, while it is well-meaning as far as the applicability of the recommendations of the Second Wage Board for sugar industry is concerned, the wording also contains this idea that this should be done statutorily obligatory with a view to maintaining industrial peace in the sugar industry. It is in regard to that that I would like to ask a few questions of clarification. Today industrial peace in this country has to be bought bit-by-bit in every industry including the Indian Railways which is in sort of a well-organised, well-knit, system in which

[Shri B. V. Naik]

there is a sort of an all-India trade union organisation. But you make the industrial peace a sort of price for the improvement of the conditions of the labour. I feel that the Mover of the Bill has in a very subtle way tried to show a mailed-fist in regard to the *sine qua non* which we have in this country that we cannot distribute things which we cannot produce.

I may tell him that in industries like cement, sugar etc. which are dispersed and spread over vast areas it is not possible and it is a futile exercise to band together all the industrial workers at any single point of time so that there will be a threat to industrial peace and to industry as a whole because they are dispersed. The sugar industry in Maharashtra has nothing in common with the sugar industry in Uttar Pradesh.

There is, for instance, the sugar industry in Bihar. That has nothing in common, let us say, with the sugar industry in Tamil Nadu, particularly, because in the southern parts of the country, the sugar industry that has come up is of recent origin, is of a more rationalised structure, of a more standardised production both in regard to the cane as well as the ultimate yield. In Maharashtra, they have not been able to go anywhere near 11 to 12 per cent of the yield.

The sugar industry is a paying proposition. But the same cannot be said with regard to the age old industry in the Gangetic belts of this country. This was one of the principal points which I wanted to make. Any attempt made by the leaders of the labour or by the leaders of public opinion, in order to barter industrial peace at the cost of the productivity, would be self-defeating and neither the interest of the workers nor the interest of the industry nor the interest of agriculture which is closely linked up is served by that. That means the interests of the agriculturists who are closely linked up with the agro-based industry would not be served by a constant and repeated threat of strike from time to time that is held out in respect of the production that we are undertaking.

The point I was trying to make was that a time has come when productivity has to be linked up not only with the wages of labour but also with the industrial peace in respect of a particular industry—whether it be in the private sector or in the public sector.

In respect of the industrial workers in the sugarcane industry, it is again linked up with two basic things. In this country, we are yet to evolve a uniform and wholly applicable national wage and price policy. Whether it is the wage for the cement industry or it is for sugar or for the textile, there have been wide disparities. There are disparities from the industrial production to industrial production and we should be in a position to have in this country a naional wage and price policy so that an indusrial worker in any sector of our industry will be able to see that this is the fair minimum which we will be in a position to pay. Will various industries be in a position to link up the wage to the production? One of the things in respect of the sugar factories is that, like any other industry, there is a large number of unconfirmed people. Even in respect of those sectors of the industry like the cooperative sugar factories—whether they are in Karnataka or in the State of Maharashtra—there are a number of people remaining in unconfirmed position. Naturally, they are not in a position to assert that the scales that have been prescribed by the Second Wage Board are made avalable to them. I feel that in respect of these industries, particularly, in the cooperative sectors, they account for approximately about 40 to 50 per cent

of the total production of sugar in this country. There the Industrial Finance Corporation, the States Lending Agencies, the State Corporations and the States' equity participation in their capital structure, virtually account for 80 to 90 per cent of the total capital. So, at least the States as well as the Central Government including the all-India financial institutions like the I.F.C., should be in a position to give the representation not only to the growers of cane but to the workers, as per the constitution, of the Association of these corporate bodies where there is to-day absolutely no representation. I would have appreciated if this Bill would provide that at least in respect of these corporate and cooperative sectors because of the heavy participation in the equity as well as the capital of these institutions, they are able to get at least one-third of the total amount of the representation on the board of management. When we have been saying this in regard to public sector and in respect of the other sectors of our economy I see no reason why this representation should not be given to the workers so that one-third of them come from the producers of sugarcane, one-third of them come from the producers of sugar and the remaining one-third could represent the other interests which are involved in the capital and managerial sector of these institutions. They would be in a better position to provide a balanced management and they would be in a position to tell us, in course of time, the recovery. There are today many complaints—of course, many of them are well-founded and some of them are ill-founded—and it is very easy to see to it that the percentage of quota that is given for the market and given for the controlled market is manipulated invariably in favour of the market quota and that sugar passes in the market under the cover of black-market. If workers are there it will not be difficult for us to detect these loopholes and then we would be in a position to ensure that the sugar produced is invariably made available to the consumers at large. Therefore, I would suggest that in the light of the suggestions made by me the mover of the Bill may bring forward appropriate amendments in the Bill.

**श्री रामकंवर** (टोंक) : सभापति महोदय, मैं श्री डी० के० पंडा जी के बिल का जो वेज-बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिये है. समर्थन करता हूं । ऐसे बिलों को यहां पर लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस सरकार की दोहरी नीति के कारण बारबार ऐसे बिलों को यहां लाना पड़ता है ताकि सरकार का ध्यान उन की तरफ़ आकर्षित हो सके।

मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को सरकार ने मान लिया, उस के लिए कानून भी बन गया, लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में, सिर्फ चीनी मिलों में ही नहीं, दूसरे उद्योगों में भी, बल्कि 75 प्रतिशत मजदूरों पर लागू नहीं हो सका है और उन को इस का लाभ नहीं मिल रहा है इस के लागु करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है, इस लिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ चीनी उद्योग ही नहीं बल्कि सभी उद्योगों पर यह शीघ्र लागू होना चाहिए ।

सभापति जी, कल रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के मामले पर बहस चल रही थी, मैंने मंत्री जी का भाषण भी बड़े गौर से सुना । उन्होंने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशों से 40 प्रतिशत मजदूरी बढ़ गई है । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि सारे देश में वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव कहां कहां पड़ा है, किन किन उद्योगों में मजदूरी बढ़ी है, किन श्रमिकों पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई ह ?

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में भोपाल सागर शुगर मिल है, वहां के मजदूरों की बड़ी दयनीय हालत है, बहुत बुरी तरह से उन का शोषण किया जा रहा है । उन को रुपया देने के बजाए अनाज दिया जाता है, जो सड़ा गला होता है। मरा निवेदन है कि सरकार की तरफ़ से जो भी कानून या वेतन

आयोग की सिफारिशें लागू हों, वे तुरन्त लागू होनी चाहिए—चाहे सरकारी क्षेत्र हों, राष्ट्रीयकृत क्षेत्र हों या निजी उद्योग धन्धे हों।

कल रेलवे की हड़ताल पर जो सदस्य बोल रहे थे—उन्होंने कहा था कि गांव के मजदूरों की, कृषि मजदूरों की बहुत खराब हालत है, मैं आप से निवेदन करू कि इस सरकार की यह नीति है कि जब रेलवे मजदूरों का मामला आता है तो कृषि मजदूरों के प्रति सद्भावना दिखलाती है और जब कृषि मजदूरों का मामला आता है तो जो लोग उद्योग में काम करते है उन की तरफ अपनी सद्भावना दिखलाने लगती है .....

**श्री बी० पी० नायक :** यह बात ठीक नही है—जब कृषि मजदूरों की बात आती है तो नगरीय मजदूरों की बाबत कभी नहीं कहते ।

**श्री राम कंवर :** मध्यावधि चुनावों को तीन साल हो गए, हमारे यहां दिल्ली में राजस्थान के लगभग 3-4 लाख मजदूर बिल्डिंग में काम करते हैं दो-चार आदमी रोजाना गिर कर मर जाते हैं, कोई उन को पूछने वाला नहीं है, ये बड़े बड़े कांट्रेक्टर्स प्राइवेट तौर से मंत्रियों या सरकारी अफसरों से मिले हुए होते है—इस लिए उन का कुछ नहीं बिगड़ता। उन गरीबों के बच्चों के लिए कोई साधन नहीं है—मैंने कई दफ़ा यहां कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती ।

इसी तरह से चीनी मिलों का सवाल है— अगर बार बार गन्ने की कीमतों का मसला यहां आता है—लेकिन उन को सरकार नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि सरकार का झुकाव मिल-मालिकों की तरफ है। इस लिए मेरा निवेदन है कि मजदूरी बोर्ड की जो सिफारिशें है इस की लागू करने की जिम्मेदारी आप लें और वह उन पर शीघ्र लागू होनी चाहिए ताकि मजदूरों को उन का लाभ मिल सके और वे उत्साह-पूर्वक अपन काम कर सकें।

इस के अतिरिक्त मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, उन को अनाज और दूसरी चीजें सस्ते दामों पर दिए जाने की जिम्मेदारी मिल-मालिकों की होनी चाहिए। इसी तरह से शैड्यूल कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की रिजर्वेशन का मामला इन प्राइवेट मिल-मालिको पर भी लागू होना चाहिए। आप की तरफ़ से ऐसा आदेश निकाला जाना चाहिए कि जितने प्राइवेट उद्योग है उन में भी नौकरियों में इन जातियो का कोटा पूरा होना चाहिए। अगर आप ऐसी व्यवस्था ठीक तरह से कर सकें तो इस से हिन्दुस्तान की जनता को आप की नीतियों से सन्तोष हो सकेगा। लेकिन आप तो कागजी कानून बनाते हैं, उन नीतियों के कार्यान्वित करने में आप का विश्वास नहीं है, इसी लिए विरोधी दल के लोग आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। मेरा आप से अनुरोध है कि सारे मामलों में खोज करें और ऐसी नीति अपनाएं जिस से मजदूरों और मालिकों के बीच में अविश्वास की खाई न पैदा हो। आप को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिस से मजदूरों को भी बोलने का मौका न मिल और मालिक भी सन्तुष्ट हों आप इस काम को करने के लिए बड़ी बुद्धिमता से कार्यवाही करें ताकि सारे देश में खुशहाली आयें किसानों और गन्ने के व्यापारियों का आपस में ताल-मेल हो, मिल-मालिकों और मजदूरों का आपस में तालमेल हो और सारा काम शान्ति से चल सके।

हमारे जो लोकल मजदूर है जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं उन को कम से कम 8-10 रुपये मजदूरी जरूरी मिलनी चाहिए, अगर इतनी मजदूरी नहीं मिलती तो वे कैसे गुजारा करेंगे इस के लिए आप ठेकेदारों के शैड्यूल को बढ़ाइये ताकि वे मजदूरों को ठीक मजदूरी दे सकें।

**श्री नरसिंह नरायण पांडे** (गोरखपुर) : सभापति जी, जो विधेयक श्री डी० के० पंडा जी ने प्रस्तुत किया है उसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है इस विधेयक में केवल यह कहा गया है कि जो द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश है उस सिफारिश को लागू करने

के लिए कानून बनाया जाए और बाध्य किया जाये कि वे चीनी मिलें, चाहे कोग्रोपरेटिव सेक्टर में हो, ज्वाइंट स्टाक कम्पनी सेक्टर में हों या पब्लिक सैक्टर में हों वे सही तौर से वेज बोर्ड की रिपोर्ट को लागू करें। लेकिन जो इसका उद्देश्य किया गया है जिसके मातहत यह छोटा सा संशोधन लाया गया है उसमें उद्योग के रास्ते में जो रुकावट है, मजदूरों को जिस बातों की जरूरत है और जिसके लिए वेज बोर्ड बना था उसका क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है । यह चीनी मिलों का जो मामला और इसमें खास तरीकों से जो मजदूरों का मामला है जो करीब तीन लाख मजदूर सारे देश में चीनी उद्योग धंधे में लगे हुए हैं उनके लिए जो पहला वेज बोर्ड बना था वह 26 दिसम्बर, 1957 को बना था और 23 दिसम्बर, 1961 तक उसकी जो रिकमन्डेशंस थी उनको लागू होना था। उसके बाद दूसरा वेज बोर्ड जो बना वह 16 नवम्बर, 1965 को बना था और उम्मीद की जाती थी कि पांच साल के अन्दर, जो सात प्वाइंटस थे जिनके ऊपर वेज बोर्ड ने अपना पूरा काम शुरू किया था और जो उसकी रिकमडेशन्स है उनको लागू किया जाये। में आपकी इजाजत से 5–7 प्वाइन्टस जिनके उपर सेकेन्ड वेज बोर्ड बना था उनकी कोट करना चाहता हू :

"(i) The recommendations of the First Wage Board for the sugar industry constituted by the Government of India by their Resolution No. WB-7(2)/57, dated 26th December, 1957, and Government decisions thereon as published in Resolution No. WB-7 (30)/60, dated 23rd February, 1961;

(ii) The principles of fair wages as set forth in the Report of the Committee on Fair Wages;

(iii) The needs of the industry in a developing economy, including the need for maintaining and promoting exports;

(iv) Special features of the sugar industry;

(v) The requirements of Social justice;

(vi) The need for adjusting wage differentials in such a manner as to provide incentive to workers for advancing their skill;

(vii) The desirability of extending the system of payment by results".

इन सात बातों को लेकर वेज बोर्ड बना था । मुझे कहते हुए दुख होता है कि दूसरे आर्गनाइज्ड सेक्टर में, चाहे वह सीमेंट हो, चाहे जूट हो चाहे दूसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स का मामला हो, वहां पर जो वेज बोर्ड बनता है उसकी रिकमेंडशन्स आजकल के महंगाई के स्तर को देखते हुए, दूसरी जरूरतों को देखते हुए बनाई जाती हैं कि इतने प्वाइंट्स पर महंगाई पहुंच गई है इसलिए वेज बोर्ड बना दिया जाये जिससे मजदूरों की हालत, जो उस कारखाने में काम करते हैं, दुरुस्त की जा सके । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेकेण्ड वेज बोर्ड की रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक वेज स्ट्रक्चर को ठीक करने की बात की गई उसमें कितना वेज स्ट्रक्चर और डी० ए० दिया गया ? आपको ताज्जुब होगा वह केवल 31.53 से 24.23 दिया गया, सब से मिनिमम जो है वह आज उनको दिया गया ।

आज चीनी मिलों की हालत क्या है ? 1969 से लेकर आज तक हमारी पार्टी हमेशा कहती रही है कि चीनी के उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये । इसके पीछे मतलब क्या है । मतलब साफ है कि अगर आज चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, उनको सरकार अपने हाथ में लेती है

तो समाज का उनके प्रबन्ध में हाथ होता है और उस समय हम अपने देश के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, केन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं, हम चीनी की अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपना बफर स्टाक बना कर हम विदेशों में चीनी भेज कर फारेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं ।

हमारे चीनी उद्योग का इतिहास 1930 से देखा जाये, भाटिया कमेटी जिस समय बनी थी उसके जमाने से देखा जाये तो हमारे केन डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया, मिलों को प्रोटेक्शन दिया गया लेकिन उसके बाद आज हालत यह हो गई कि जिसके पास एक चीनी मिल थी वह अब कई मिलों का मालिक है, लखपती करोड़पति हो गया है, एक चीनी मिल की जगह पर पचासों कारखाने उसके पास हो गये हैं । मैं उद्योग की उन नीतियों में जाना नहीं चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि हमारे देश में चीनी खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है । भार्गव कमीशन की रिपोर्ट जो कि आज सदन में पेश नहीं है लेकिन उसके जो विशेष पहलू हैं वह अखबारों में आ गए हैं, उनको देखा जाए तो साढ़े 37 लाख टन चीनी का कंजम्पशन हमारे देश में है । उसके साथ साथ हमारे कुछ कमिटमेन्ट्स भी हैं । जैसा कि मैं बार बार इस सदन में कहता चला आ रहा हूं, चीनी का उत्पादन जो होता है और जो चीनी का वितरण होता है उसमें बड़ी बंगलिंग होती है । पिछले दिनों मैंने कहा था इस सदन में कि कंजम्शन फीगर्स जो दिखाई जाती हैं वह 25 परसेंट इंफ्लेटेड हैं, इसको खाद्य मंत्री मानते हैं लेकिन कमरे में मानते हैं । सदन में नहीं मानते हैं लेकिन कमरे में जरुर मानते हैं कि तुम्हारी बात सही है ।

इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक गन्ने की पैदावार की सम्बन्ध है हमने कहा था कि रेड-ाट लग जाने के कारण आपका चीनी का टार्गेट 43 लाख टन से ज्यादा नहीं जायेगा लेकिन आपने कहा कि 45 लाख टन पैदा करेंगे । लेकिन अब 43 लाख टन चीनी का टार्गेट पूरा होते होते सरकार भी स्वीकार करने लगी कि 43 लाख से ज्यादा टार्गेट पूरा नहीं होगा । अब हमारे जो कमिटमेंट्स हैं उनके अलावा साढ़े 37 लाख टन हमको अपने कंजम्शन के लिए चाहिए । आज हमारे देश को विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है और आज चीनी के भाव देश और विदेश में बढ़ते जा रहे हैं । अभी हमारे एक इकोनामिस्ट ने कहा है कि एक मिलियन टन चीनी अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे एक मिलियन टन क्रूड आयल हम अपने देश में मंगा सकते हैं जिसकी कि हमको निहायत जरूरत है । लेकिन आज एक्सपोर्ट का मौका किसको दिया गया ? आपको जानकर दुख होगा, सारे सदन और देश को भी दुख होगा कि आज हमारा खाद्य मंत्रालय तय नहीं कर पाया कि एक्सपोर्ट कौन करेगा । एक्सपोर्ट चीनी मिल मालिक करेंगे क्योंकि वे कहते हैं कमिटमेन्ट्स तो हम ते हैं, हम चीनी एक्सपोर्ट करेंगे और आप कहते है कि चूंकि फारेन एक्सचेंज की हमको जरुरत है इसलिए हम करेंगे ।

अभी तक यह मामला गर्त में पड़ा हुआ है जिसका हम निश्चय नहीं कर पाये हैं । इसका कोई भी निश्चयात्मक हल नहीं निकला है। हम आज आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, हम फारेन एक्सचेंज पैदा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो इंफ्लेशनरी ट्रेन्ड बढ़ते जा रहे हैं, पैसे की कीमत घटती चली जा रही है उसको रोकें और देश में उत्पादन बढ़ायें लेकिन हम अभी तक चक्कर में पड़े हैं । मैं कहता हूं कि स्थिति यह नहीं है, अगर मैं आपको फीगर्स बताऊं तो चीनी मिल मालिक दो सौ करोड़ रुपये कमा चुके हैं । मैंने कहा था कि आप फ्री शुगर की नीति को छोड़ दें । आप कौस्ट स्ट्रक्चर

को देखिये । आप रिकवरी के पौइंट्स को ठीक करें। जब तक रिकवरी पौइंट्स ठीक नहीं होते, भार्गव कमीशन भी कहता है कि रिकवरी डीफ्लेटेड होती हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि जब 1937 में गन्ने पर ज्यादा तवज्जह नहीं दी जाती थी, फ़र्टिलाइज़र नहीं मिलता था, समय पर पानी नहीं मिलता था, दवा तथा छिड़काव आदि का इन्तजाम नहीं होता था उस समय रिकवरी 10 परसेंट होती थी, लेकिन आज जब कि यह सब सुविधायें हैं, फिर रिकवरी 8 परसेंट क्यों हो रही है ? मतलब क्या है जो रिकवरी घट रही है ? दुनिया में और जो शुगर प्रोड्यूसिंग कन्ट्रीज़ हैं उन में रिकवरी जानने का क्या तरीका है इस की मैं ने जानकारी की । पता लगा कि वहां रिकवरी जांचने के लिये टेक्निकल डिवाइस उन्होंने अख्तियार कर लिये हैं । लेकिन हमारे यहां रिकवरी तय करने वाला एक्साइज़ इंस्पेक्टर है जो कि हर शुगर फ़ैक्ट्री में रहता है । जब चीनी बनती है तो ऐक्साइज़ इंस्पेक्टर बैठ जाता है और जितनी चीनी आती है बोरी में भरते जाते हैं और उसके बाद एक्साइज़ इंस्पेक्टर तय कर देता है कि इतने परसेंट रिकवरी हुई । आप ऐक्साइज़ इंस्पेक्टर की हैसियत देखिये । आपको ताज्जुब होगा कि बड़े से बड़ा उद्योगपति उस शान में नहीं रह सकता है जैसे एक मामूली एक्साइज़ इंस्पेक्टर रहता है । उसकी हैसियत देखते ही बनती है । नतीजा यह होता है कि रिकवरी वहीं डाउन हो जाती है । दूसरी तरफ़ कंजम्पशन फीगर्स को इन्फ्लेट करके दिखाते हैं । इसलिये सरकार की जो चीनी के बारे में नीति है उस में परिवर्तन होना चाहिये । इस वक्त जो नीति है अगर वही चलती रहेगी तो गन्ना किसान को कभी भी राहत नहीं मिलेगी, न मजदूर को उचित मजदूरी मिलेगी और न आज की महंगाई के मुताबिक उनकी तनख्वाह ठीक होगी । बोनस उनको नहीं मिलेगा, रिटेनिंग अलाउन्स नहीं मिलेगा । वेज बोर्ड की सिफ़ारिशें लागू नहीं हो सकेंगी । आप की फ्री शुगर की जो वर्तमान नीति है, उस को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर गन्ना उत्पादकों और मजदूरों की स्थिति ठीक होगी, अन्यथा नहीं ।

भार्गव कमीशन की रिपोर्ट, अन्तरिम रिपोर्ट 15 मई को सरकार के पास आ गई । सरकार कहती है कि हम रिपोर्ट को 6 महीने के अन्दर पेश करना चाहते हैं । 15 मई, 1973 से आज तक 6 महीने से ज्यादा हो गये लेकिन सदन में पेश नहीं की गई । आप अन्तरिम रिपोर्ट पेश कीजिये जिस में शुगर नेशनलाइज़ेशन के बारे में भार्गव कमीशन ने अपनी राय निश्चित की है । आप उसको पेश करने में क्यों देर कर रहे हैं । मैं फिर कहता हूं कि अगर केन ग्रोअर्स की स्थिति को ठीक करना है तो उनका जो 54 करोड़ रु० बकाया मिलों पर पड़ा हुआ उसको दिलाने की व्यवस्था कराइये । माननीय बी० पी० मौर्य ने खुद इस सदन में स्वीकार किया कि 54 करोड़ रु० गन्ना उत्पादकों का मिल मालिकों पर बकाया है । मिल मालिक जब चाहें मिलों को बन्द कर दें क्योंकि वह बहाना करते हैं कि रिकवरी कम है । हमारी वित्त उप-मंत्री महोदया बैठी हुई हैं. इन को नहीं मालूम कि कहां से कितना प्रैशर डाला जाता है । चीनी मिल के मालिकों की ओर से रिज़र्व बैंक की जो क्रैडिट स्क्वीज़ पालिसी है उसको रिवाइज कराने के लिये प्रैशर डाला जा रहा है । उसके बाद कहा जाता है कि इसको कुछ छूट दो । अब छूट अनाउन्स की गई है प्रोडक्शन के ऊपर । कहा जाता है कि किसान को तब तक पैसा नहीं दे सकते जब तक सरकार सही तरीके से बैंको से एक निश्चित पैसा नहीं दिलाती । क्या हो रहा है ? सारा पैसा सरकार का और मिल मालिक हमको, आप को धमका कर चीनी मिलों को चलाते हैं । न चीनी मिलों को

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

दुरुस्त करते हैं। रिहैबिलिटेशन के नाम पर, ऐक्साइज के नाम पर न मालूम कितना पैसा लिया। यू० पी० मे अब यह लोग परचेज टैक्स पर छूट चाहते हैं और इसके लिये सरकार पर दबाव डाल रहे है। इसलिए आज कोई विकल्प नही है सिवाय इसके कि चीनी के के बारे में सरकार एक निश्चित नीति अपनाये और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करे। इसके अलावा कोई और रास्ता नही रह गया है। अगर चीनी के बारे में आत्म निर्भर होना है, ऐक्सपोर्ट कमिटमेंट को पूरा करते हुए फ़ौरेन एक्सचेंज पैदा करना है, तो आपको बफर स्टाक बनाना पड़ेगा और साथ ही डिस्ट्रिब्यूशन मशीनरी को मजबूत करना होगा।

**सभापति महोदय** : यह सारी बातें माननीय पांडे जी, इस बिल में नहीं हैं।

**श्री नरसिंह नारायण पांडे** : मान्यवर, अगर उत्पादन बढ़ेगा, मुनाफ़ा होगा तो केन ग्रोअर्स को पैसा मिलेगा, मजदूरों का वेज स्ट्रक्चर ठीक होगा। जिस तरह से आयल प्रोडयूसिंग कन्ट्रीज ने तेल के दाम के बारे में सारी दुनिया को निश्चयात्मक तरीके से झुका दिया है, उसी तरह से आज जरूरत है कि चीनी नीति को ऐसा निर्धारित करें जिससे देश को लाभ हो। सारे दुनिया के अन्दर जितने चीनी प्रोड्यूसिंग कन्ट्रीज है वह अपना एक महाज बनायें, जैसा कि श्री छेदी जगन ने भी कहा था कि हमको देर नही करनी चाहिये एशियन डेवलपिंग कन्ट्रीज जो हैं उनको अपना महाज बनाना चाहिये और तब अगर चीनी का एक्सपोर्ट होगा तो किसान को भी गन्ने का सही दाम मिलेगा और सरकार भी गन्ने के उत्पादन पर ज्यादा तवज्जह देगी, मजदूरों के ऊपर ज्यादा तवज्जह देगी, उन के हितों की रक्षा करेगी।

मैं मानता हूं कि इस छोटे से विधेयक में बहुत सी जगह हो सकता है कि आज इस विधेयक को सही तरीके से लागू न किया गया हो। माननीय सदस्य जो इस विधेयक को सदन में लाये, चूंकि मैं मजदूरों में काम करता हूं मुझे को अच्छी तरह से मालूम था कि उस समय रिटेनिंग अलाउन्स के बारे में और जो तमाम रिकमन्डेशन्स हैं उन को लागू करने के बारे में दो मत थे। लेकिन ट्रिपारटाइट कानफ्रेंस जो 29 अप्रैल, 1970 को दिल्ली में हुई जिसमें मिल मालिकों के, मजदूरों और सरकार के नुमाइन्दे थे, उस में कुछ निश्चय हुए। उस निश्चय के मुताबिक जो मुझे खबर है आज उन सिफ़ारिशों को लागू किया गया। लेकिन आज 1974 में अगर 18 अक्तूबर, 1974 को जो रिकमन्डेशन्स हुई हैं, उन को लागू किया गया, तो अगर इनका कहना यह हो कि आज तृतीय वेज बोर्ड की घोषणा करे तो कोई अनुचित बात नही कही जा सकती। लेकिन मजदूर आज वेज बोर्ड नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि हमारे जो मसले वेज बोर्ड के मसले हैं उन को ट्रिपार्टाइट या बाइपार्टाइट तरीके से बैठ कर के दिल्ली में समझौता करके हल किया जाए। वेज स्ट्रक्चर को चेंज करने के बारे में वह आगे बढ़ना चाहते हैं यह हमारे और मजदूरों के बीच में जो यू० पी० में बातें चलती है वह मैं आप को बता रहा हूं।

इसलिए मेरी आशा है कि इन बातों का ध्यान रखते हुए हमारे श्रम मंत्री जी, जो मजदूरों में चीनी मिलों के काम कर चुके हैं, उन की स्थिति को देखेंगे और देख कर के जो चीनी मिलों के मजदूर हैं, जो वेज बोर्ड की सिफारिशें है यदि कहीं पर लागू नहीं हुई हैं तो उन्हें लागू कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे।

आप देखिये कि चीनी मिल मजदूर आज जहां रहते हैं वहां उन की क्या हालत है।

10 साल हो गए उन के क्वार्टर बने लेकिन आज तक उन की लिपाई पुताई नहीं हुई है। एक छोटे से कमरे में वह रह रहे हैं। उन मकानों का किराया निश्चित होना चाहिए और वेज बोर्ड की जो और सिफारिशें हैं उन को लागू करना चाहिए। माननीय डी० के० पंडा का इस विधेयक को लाने का मकसद बहुत साफ़ है और विचार मजबूत हैं।

इन्होंने कहा है कि स्टेचूटरी प्राविजन होना चाहिए ताकि वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जा सके। मैं समझता हूं कि हमारे श्रम मंत्री काफी जागरूक है, वह बड़े प्रगतिशील है, हमेशा कोशिश करते हैं कि बाई ट्रिपाटइट या ट्रिपाटइट कान्फ्रेंसिस करके जो एनामर्लीज हैं उनको दूर किया जाए, अगर आप तृतीय वेज बोर्ड की एनाउंसमेंट नहीं करना चाहते हैं तो न करें लेकिन एक नई वेज नीति एक नया वेज स्ट्रकचर मालिकों और मजदूरों से मिल कर आप बनाएं जोकि आज की महंगाई को देखते हुए बने, मिल मालिको द्वारा जो शोषण किया जा रहा है, उसको देखते हुए बनें, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप जरूर कोई घोषना करें। मैं पंडा जी से अपील करता हूं कि यह अपना बिल वापिस ले लें क्योंकि उनका जो मकसद था वह पूरा हो गया है। ऐसा उन्होंने किया तो यह बेहतर होगा।

श्री दरबारा सिंह (होशियार पुर): मुझे खुशी है कि पंडा जी और पांडे जी के दरम्यान बात नहीं रह गई है। वेज बोर्ड तक पंडा जी ने इस मामले को महदूद रखा है। हम देखते हैं कि जब कभी वेज बोर्ड बनता है या कमेटी बनती है या सब कमेटी बनती है तो जो असली चीज होती है वह डिलेड एक्शन में पड़ जाती है। इस वास्ते यहीं इस मसले का फैसला होना चाहिए। जो वेज बोर्ड ने रिफारिशें की थीं, उनको लागू नहीं किया गया है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा आपको बता देना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि इस में ये नकायस हैं और इनको दूर करने की जरूरत है। 1965, 1970 और 1971 में बोर्ड बनते रहे हैं, उन पर पैसा खर्च होता चला गया। वे सिफारिशें करते रहे। अब रिकामडेस किसी ताले में बन्द पड़ी रहें तो यह बात ठीक नहीं है।

पुलिस वाला किसी को पकड़ता है तो 24 घंटे के अन्दर मुलजिम को अदालत के सामने पेश किया जाता है। उसका चालान होना होता है तो वह हो जाता है। लेकिन यहां कोई सिफारिशों पर कार्यवाई ही नहीं की जाती है, करनी है या नहीं करनी है बताया ही नहीं जाता है। क्यों रिकामेंडशेंज को लागू नहीं किया जाता है, समझ में नहीं आता है।

असली बात यह है कि हमने शगर के बारे में गलत पालिसी अख्तयार की है। बाजार में खुले में आप चाहे जितनी चीनी ले लें। अगर कार्ड पर लेनी है तो मिलती नहीं है, कहा जाता है कि स्टाक नहीं है, शाम को आना, कल आना, परसों आना। कहां से चीनी ओपन मार्किट में इतनी ज्यादा आ जाती है? एक्साइज इंस्पेक्टर जो होते हैं उन से वे मिल जाते हैं और चीनी की चोरी होती है। जो 30 परसेंट है वह 70 परसेंट बन जाती है और जो 70 परसेंट है वह 30 परसेंट बन जाती है। मार्किट में आप जितनी चाहो चीनी ले लो, कोई पाबन्दी नहीं है। मजदूरों को इस वास्ते मिल मालिक फायदा देने से इंकार करते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि मिल घाटे में चल रही है। मैंने ऐज ए मिनिस्टर पंजाब में देखा है। रिकवरी के बेसिस पर गन्ने के दाम दिए जाते हैं। वे लोग हमेशा रिकवरी कम दिखाते हैं। इस वास्ते कम दिखाते हैं कि गन्ने की कीमत को घटा सकें और खुद फायदा उठा सकें। रिकवरी ज्यादा होती है लेकिन कम दिखाते हैं और जो डिफ़ेस होता है उसको अपने पास रख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि कभी आप इसके बारे में अचनाक चैकिंग करें। रिकवरी दिखाने वाले उनके मुलाजिम हों तो होते

[श्री दरबारा सिंह]

हैं। उनको जितनी वे कहते हैं उतनी रिकवरी वे दिखा देते हैं। इससे काश्तकार को नुक्सान होता है, मजदूर को भी फायदा नहीं होता है। दोनों तरफ से ये लोग मारे जाते हैं, इन पर मार पड़ती है। क्यों सरकार इस पर नहीं सोचती है।

आप ये भी क्यों नहीं देखते हैं कि 100 परसेंट युटिलाइजेशन कपैसेटी का ही। बहुत कम हो पा रहा है। ज्यादा अगर पैदावार होती चीनी बाहर भी भेजी जा सकती है और बदले में तेल तथा दूसरी चीजें आ सकती हैं। जो ट्रीटीज हमारी हो रहीं हैं उन से और भी ज्यादा फायदा इस तरह से हो सकता है।

आपको यह भी देखना चाहिए कि जो कोठे की चीनी है वह ज्यादा मिले। बाजार में आप चाहे जितनी ले लो। यह जो कम मिलती है और इससे आपकी जो नुक्ताचीनी होती है इससे भी आपको बचना चाहिए। मजदूरों के वास्ते भी आपको कुछ करना चाहिए। मजदूरों के आप मकान देखें। ईंट पर ईंट रखी हुई है, बीच में कुछ नहीं है। उस पर एक छप्पर बना हुआ है। उन में वे रहते हैं। ये लोग दिन रात मरते हैं, मिलों को चलाते है एक ही कमरे के उनके मकान हैं जिन में रहते भी हैं, रसोई भी पकाते है और अगर कहीं उसमें आग लग जाए तो सब जल भी मरते हैं।

इस बिल को एक महदूद आबजेक्ट को सामने रखते हुए पेश किया गया है। वक्त बहुत आगे चला गया है। वहीं तक इस बिल को महदूद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। आज के हालात के मुताबिक सरकार कुछ फैसले करे। वेज बोर्ड से भी छुटकारा हासिल किया जाए। तीन बार वेज बोर्ड्स की आपके पास सिफारिशें आ चुकी हैं, क्यों उनको लागू नहीं किया गया है? अब नए कंटैक्स्ट में आप फैसले लें। तभी कुछ लाभ हो सकता है।

जितनी मिलें हैं सब पुरानी हो चुकी हैं, खास कर उत्तर प्रदेश की। अगर आज--राष्ट्रीयकरण पांडे जी करने लगें तो वे कहेंगे कि आज की कीमत हमें दो। अगर इससे छुटकारा पाया जा सकता है तो हम तैयार हैं। कम्पेंशन क्यों? रोज तो वे लूटते हैं मजदूरों को, गरीब किसानों को?

श्री नरसिंह नारायण पांडे : ज्वायंट सेक्टर में जो फैक्ट्रीज हैं उनको अगर टेक ओवर करना है तो उनकी एसेट्स और लायाबिलिटीज 105 करोड़ की है। उसके मुकाबले में जो उनके ऊपर कर्जा है बैंक वगरह का वह भी इससे अधिक है। इस वास्ते आपको एक पाई भी नहीं देनी पड़ेगी है। मुफ्त में आप नेशलनाइजेशन कर सकते हैं।

श्री दरबारा सिंह : दो चार रुपये दे कर कर लें तो ठीक होगा। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। हम क्राइसिस में से हो कर गुजर रहे हैं। हमें ज्यादा चीनी पैदा करनी चाहिए। मजदूरों को हमें इसके लिए इंसेंटिव देना चाहिए। हम आज मजदूर को स्लो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। उनको अगर इंसेंटिव दिया जाए तो वे ज्यादा पैदावार करके आपको दिखा सकते हैं। उनकी मजदूरी को अगर आप प्रोडैक्शन से बांध दें तो इसके लिए भी वे तैयार हैं। सिक मिल्स को आप दुबारा चलाएं। दो सौ करोड़ का मुनाफा अकेले उत्तर प्रदेश में वे कर चुकी है। अब मजदूर क्या करें जब मिलें बन्द हो जाएं? मिल मालिकों ने उनकी कमी का बन्द कर दिया हैं। इसलिए किया है कि गन्ने की जरूरत उनको नहीं है क्योंकि उस में रस नहीं रहा, रिकवरी नहीं हो सकती है; गन्ना खुश्क हो जाए तो उस से रिकवरी नहीं हो सकती है, मौसम के बाहर चला जाए तो रिकवरी ज्यादा हो जाती है क्योंकि तब पानी उसका खुश्क हो जाता है। जब रिकवरी ज्यादा हो सकती थी तब भी

उन्होंने गन्ना नहीं लिया। मजदूरों को निकाल बाहर किया। उधर गन्ना लोगों को जलाना पड़ा है। एक तरफ किसानों को नुकसान हुआ और दूसरी तरफ मजदूरों को हुआ क्योंकि उनको निकाल बाहर किया गया। जो एनमलीज है इनको सरकार को अपनी सतह पर दूर करना चाहिए। तभी आगे बढ़ा जा सकता है।

इस छोटे से मामले को यहां ला कर मैं पंडाजी का मशकूर हूं कि उन्होंने हमें अपने विचार इस मसले पर व्यक्त करने का मौका दिया है।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : चेयरमेन साहब, श्री डी० के० पंडा ने जो बिल हाउस के सामने पेश किया है, जिस में उन्होंने शूगर इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए, और उस में काम करने वाले मजदूरों को राहत देने के लिए, बहुत जरूरी और अहम सजेस्शन्ज दिए हैं, मैं उस का समर्थन कराता हूं।

शूगर इंडस्ट्री हमारे देश का एक बहुत बड़ा उद्योग है। खास तौर पर उन पिछड़े हुए इलाकों में, जो औद्योगिक हैसियत से तरक्कीयाफ्ता नहीं है। शूगर मिलें हीं एक तरह से माडर्न इंडस्ट्री और माडर्न फैक्टरी का काम करती है। हमारे उत्तर प्रदेश में शूगर मिलों की क्या हालत है? मैं दूसरी जगहों के बारे में ज्यादा जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं। वहां की शूगर मिलों की जितनी कैपेसिटी हो सकती है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज उन की कैपेसिटी का पचास परसेंट भी काम में नहीं आ रहा है। आप गौर फ़रमाइये कि जो शूगर मिलें साल में दस महीने आसानी से चल सकती है, वे मुश्किल से छः महीने चलती है। क्यों? क्या गन्ने की कमी है? नहीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जितना गन्ना पैदा होता है, उस का सिर्फ़ 15 परसेंट मिलों के जरिए पेरा जाता है और 85 परसेंट किसान दूसरे तरीकों से अपने तौर पर काम में लाता है। गन्ने की कमी नहीं है।

क्या आदमियों की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। क्या पैसे की कमी है? जैसा कि अभी श्री पांडे ने कहा है, यह हकीकत है कि सरकार और नेशनलाइज्ड बैंक इतनी फैयाजी के साथ इन शूगर मिलों को पैसा देते हैं कि वे 100 करोड़ रुपये से ऊपर की कर्जदार हैं। फिर क्या वजह है? क्यों नहीं पूरी कैपेसिटी काम में आती है? क्यों नहीं शूगर मिलें पूरे वक्त चलती है?

जैसा कि श्री दरबारा सिंह ने कहा है, शूगर मिलों की मशीनें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन शूगर मिलोंके मालिक बजाए उन मशीनों को सम्भालने के, उन की जगह नई मशीनें लगाने के, जो पैसा उन को शूगर मिलों से मिलता है, उस को दूसरी ज्यादा मुनाफा देने वाली इंडस्ट्रीज में लगाते है। उस पैसे से शूगर मिलों को बेहतर बनाने और उन को तरक्की देने के बजाये उस पैसे से शूगर मिलों के मालिकों के कारोबार कलकत्ते और बम्बई में चल रहे हैं। और हद तो यह है कि —मैं नाम ले कर बता सकता हूं—बाज शूगर मिलों के मालिक उस पैसे से सट्टा खेल रहे हैं, दूसरी तरह की आमदनियां कर रहे हैं।

फिर क्यों शूगर मिलों की हालत बेहतर हो और उनकी पैदावार बढ़े? जब उन की हालत बेहतर नहीं होती है, तो उस का सारा असर दो ही इन्सानों पर पड़ता है। या तो सरकार पर दबाव डाल कर चीनी के दाम बढ़ाकर कनज्यूमर पर बोझ डाला जाता है और या मजदूरों को धोखे और दबाव से कम पैसा दिया जाता है।

शूगर इंडस्ट्री की हमारे देश में यह बदकिस्मती रही है कि जिस तरह से शूगर इंडस्ट्री को बनाया जाना चाहिए, उस तरह नहीं बनाया गया है। हमारे यहां शूगर मिलों का काम सिर्फ़ इतना ही समझ लिया गया है कि गन्ने में से रस निकाला, पकाया, चीनी बनाई और बाकी को फेंक दिया, अगर शक्कर के रा मैटीरियल को पूरे तौर पर काम में लाया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि इतनी एलाइड/

[श्री इसहाक सम्भली]

इंडस्ट्रीज उसके जरियें से चल सकती हैं कि शुगर मिल नहीं शूगर काम्प्लेक्स खड़े हो सकते हैं। मला और खोई वगैरह जो चीजें फेंक दी जाती है, उनके जरिये से ही चीजें बन सकती है, कितने हो कारखाने लग सकते हैं। लेकिन यह काम प्राईवेट प्रादमियों से नहीं हो सकता है?

**श्री मूलचन्द डागा** : उस के लिए एक कमेटी बना दी जाए।

**श्री इसहाक सम्भली** : कमेटीज तो बहुत बनी हैं, और जैसा कि श्री दरबारा सिंह ने कहा है, कमेटी बनाने का नतीजा एक ही होता है कि वह काम को ढीले करती जाती है। आप को मालूम है कि पहले भी कमेटियां बनाने में कौन सी कमी रही है। शूगर के बारे में कितनी ही कमेटियां बनी हैं। शूगर के नैशनलाइजेशन पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, फिर उस की सिफारिशों पर गौर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस के बाद उन सिफारिशों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाये, इस के लिए कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनाई गई। कमेटियों की भरमार रही है। शूगर इंडस्ट्री के मालिकों के दबाव का नतीजा यह रहा है कि आज तक कमेटियों के फैसलों पर, किसानों, मजदूरों, पब्लिक और एक्सपटर्स की इस मांग पर कि शूगर इंडस्ट्री का टोटल नैशनलाइजेशन होना चाहिए, अमल-दरामद नहीं किया गया है।

मैं अभी अर्ज कर रहा था कि शूगर इंडस्ट्री के जरिये से कितनी ही एलाइड इंडस्ट्रीज कायम की जा सकती हैं। दूसरे मुल्कों में जहां शूगर मिलें हैं, वहां सिर्फ शूगर ही तैयार नहीं की जाती है, बल्कि वहां गन्ने की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है। गन्ने की खोई और मैले को काम में लाया जाता है, उन से कलर्ज और कैमिकल्ज और कई दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं किया जाता है।

इस की वहज यह है कि हमारे यहां का शूगर मिल मालिक यह नहीं देखता है, कि पब्लिक को चीनी की जरूरत है। बदकिस्मती से यहां प्राइवेट सैक्टर में जो इंडस्ट्रीज चल रही है, वहां यह नहीं देखा जाता है कि पब्लिक को किस चीज की जरूरत है और उस को पैदा किया जाये। वहां यह देखा जाता है कि किस चीज में ज्यादा मुनाफा है, ताकि उस को ज्यादा पैदा किया जाये। इस लिए सरकार इस मसले को मौजूदा हालत में हल नहीं कर सकती है।

अगर सरकार वाकई शूगर मिल के मजदूरों और गन्ना पैदा करने वाले किसानों को राहत पहुंचाना चाहती है, तो उसका एक ही रास्ता है कि शूगर मिलों को नैशनलाइज किया जाये। वेज बोर्ड की सिफारिशों को मानने के बाद दिनो-दिन महंगाई बढ़ रही है, दिनो-दिन शूगर मिलों की कैपेसिटी कम की जा रही है। मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जुर्म नहीं है कि जो चीजें हम यहां पैदा कर सकते हैं, उस की पैदावार में कमी की जाये, अपनी मिलों को पूरे तौर पर काम में न लाया जाये, कैपेसिटी से कम काम में लाया जाये। क्या यह एक कौमी जुर्म नहीं है, जिस को शूगर मिलों के मालिक रात-दिन कर रहे हैं? और चूंकि बहुत काफी वह अपना दबाव रखते हैं, असर रखते हैं,—मैं नहीं कहना चाहता, मेरे भाई नरसिंह नारायण पांडेय ने इस बारे में काफी कह दिया, इसलिए उन को हाथ नहीं लगाते। अब वक्त आ चुका है जब हम अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए और दूसरे मुल्कों में इस एक्सपोर्ट आइटम को और ज्यादा ले जाने के लिए पहले अपने यहां की शक्कर इंडस्ट्री को बेहतर बनाएं। पहले हम अपने यहां की शुगर मिलों को नेशनलाइज कर के इस इंडस्ट्री से जितना देश को फायदा पहुंचा सकते हैं

वह पहुंचाएं और इस के साथ ही साथ वह सुझाव बहुत सही है कि इंडोनेशिया क्यूबा और दूसरे चीनी पैदा करने वाले देशों को साथ ले कर के हिन्दुस्तान एक कदम उठाए। दुनिया के वे देश जिन्होंने आज तक अनडेवलप्ड देशों को लूटना ही जाना है, जिन का काम एक ही रहा है उन से रा मैटीरियल सस्ता लेते रहे और उन के काम की चीजें महंगे दामों पर देते रहे उन के साथ ठीक ढंग से पेश आने के लिए हिन्दुस्तान सभी चीनी पैदा करने वाले देशों को साथ लेकर कदम उठाए। आज ईरान जो हमारी बगल का आयल पैदा करने वाला एक देश है, उस के नुमाइन्दों की एक बात का हमारे पास जवाब नहीं था। जब उन के साथ दिल्ली में बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे जरूरत की चीजें तो दस गुनी और बीस गुनी कीमत पर पहुंच गई है, हम ये चीजें महंगी लेते रहें और पेट्रोल उसी भाव पर देते रहें यह कैसे मुमकिन है? यही आज भी हो रहा है। एक्सपोर्ट के लालच में हमारे यहां से चीनी सस्ती जा रही है इसलिए कि अनआर्गेनाइज्ड है यह इंडस्ट्री, इसलिए कि पहले मुल्क के अन्दर इस को लूटा जा रहा है और फिर पूरी दुनिया के पैमाने पर इस की लूट हो रही है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि मजदूरों को फौरी तौर पर यह राहत पहुंचाने के साथ साथ निहायत जरूरी है कि पूरी इंडस्ट्री को विदाउट कम्पेंसेशन ले लिया जाय। कैसा कम्पेन्सेशन? जो इतना ज्यादा लूट कर ले जा चुके हैं उन को किस बात का कम्पेसेशन? इस लूट का क्या उन को बोनस दिया जायगा? जो उन्होंने किसानों मजदूरों और कन्ज्यूमर्स को लूटा है क्या उस का बोनस उन को दिया जायगा? नहीं, अगर उन पर कर्जा है तो वह उन सरमायेदारों से वसूल किया जाय। अगर कांस्टीट्यूशन में किसी तब्दीली की जरूरत थी तो उस की इजाजत पार्लियामेंट ने दे दी। अगर और जरूरत होगी तो पार्लियामेंट उस में कंजूसी नहीं करेगी मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में अब देर नहीं लगाएंगे। अब वह वक्त न आए कि हम लोग फिर सड़कों पर आवाज उठाएं और मुजाहिरा करें और सरकार को शिकायत हो कि शूगर इंडस्ट्री में यह क्या हो रहा है। इस से पहले कि शुगर इंडस्ट्री में ये बातें हों यह बहुत जरूरी है कि इस इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जाय और इस इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के पैमाने पर चीनी पैदा करने वाले मुल्कों के साथ मिल कर आगे बढ़ाया जाय। इसे सारी दुनिया के पिसे हुए और दबे हुए इन्सानों की तरक्की के लिए एक जरिया बनाया जाय।

[شری اسحاق سنبھالی -(امروھہ)

چیرمین صاحب - شری تی - کے - پانڈے نے جو بل ھاوس کے سامنے پیش کیا ھے - جس میں انہوں نے شوگر انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لئے اور اس میں کام کرنے والے مزدوروں کو راحت دینے کے لئے بہت ضروری اور اہم سجھشن دیا ھے - میں اس کا سمرتھن کرتا ھوں -

شوگر انڈسٹری ھمارے دیش کا ایک بہت بڑا ادیوگ ھے - خاص طور پر ان پچھڑے ھوئے علاقوں میں جو ادیوگ حیثیت سے ترقی یافتہ نہیں ھیں - شوگر ملیں ھی ایک طرح سے ماڈرن انڈسٹری اور ماڈرن فیکٹری کا کام کرتی ھے - ھمارے اتر پردیش میں شوگر ملوں کی کیا حالت ھے - میں دوسری جگہوں کے بارے میں زیادہ ذمہداری

[شری اسحاق سمبھلی]

کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں - لیکن اتر پردیش کے بارے میں میں جانتا ہوں - وہاں کی شوگر ملوں کی چلنے کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے - سرکاری آنکڑوں کے مطابق آج ان کی کیپیسٹی کا پچاس پرسینٹ بھی کام میں نہیں آ رہا ہے - آپ غور فرمائیے - جو شوگر ملیں سال میں دس مہینے آسانی سے چل سکتی ہیں وہ مشکل سے چھ مہینے چلتی ہیں - کیوں کیا گنے کی کمی ہے - نہیں - سرکاری آنکڑوں کے مطابق اتر پردیش میں جتنا گنا پیدا ہوتا ہے - اس کا صرف ۱۵ پرسینٹ ملوں کے ذریعہ پیرا ہو جاتا ہے - اور ۸۵ پرسینٹ کسان دوسرے طریقوں سے اپنے طور پر کام میں لاتا ہے - گنے کی کمی نہیں ہے -

کیا آدمیوں کی کمی ہے - نہیں کوئی کمی نہیں ہے - کیا پیسے کی کمی ہے - جیسا کہ ابھی شری پانڈے نے کہا ہے - یہ حقیقت ہے کہ سرکار اور نیشنلائزڈ بینک انتہی فیاضی کے ساتھ ان شوگر ملوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ وہ ۱۰۰ کروڑ روپے سے اوپر کے قرض دار ہیں- پھر کیا وجہ ہے - کیوں نہیں پوری کیپیسٹی کام میں آتی ہے - کیوں نہیں شوگر ملیں پورے وقت چلتی ہیں -

جیسا کہ شری دربارا سنگھ نے کہا ہے - شوگر ملوں کی مشینیں کافی پرانی ہو چکی ہیں - لیکن شوگر ملوں کے مالک بجائے ان مشینوں کو سنبھالنے کے - ان کی جگہ نئی مشینیں لانے کے - جو پیسہ ان کو شوگر ملوں سے ملتا ہے اس کو دوسری زیادہ منافع دینے والی انڈسٹریز میں لگاتے ہیں- اس پیسے سے شوگرو ملوں نے مالکوں کے کاروبار کلکتہ اور بمبئی میں چل رہے ہیں - اور حد تو یہ ہے کہ میں نام لیکر بتلا سکتا ہوں - بعض شوگر ملوں کے مالک اس پیسے سے سٹہ کھیل رہے ہیں- دوسری طرف کی آمدنیاں کر رہے ہیں -

پھر کیوں شوگر ملوں کی حالت بہتر ہو اور ان کی پیداوار بڑھے- جب ان کی حالت بہتر نہیں ہوتی ہے تو اس کا سارا اثر دو ہی انسانوں پر پڑتا ہے - یا تو سرکار دباؤ ڈال کر چینی کے دام بڑھوا کر کنزیومر پر بوجھ ڈالا جاتا ہے - اور یا مزدوروں کو دھوکے اور دباؤ سے کم پیسہ دیا جاتا ہے -

شوگر انڈسٹری کی ہمارے دیش میں یہ بدقسمتی رہی ہے - کہ جس طرح سے شوگر انڈسٹری کو چلایا جانا چاہئے - اس طرح سے

کے بعد ان سفارشوں کو کیسے امپلیمینٹ کیا جائے اس کے لئے گورنمنٹ کی ایک سب-کمیٹی بنائی گئی - کمیٹیوں کی بھرمار رہی ہے - شوگر انڈسٹری کے مالکوں کے دباؤ کا نتیجہ یہ رہا ہے - کہ آج تک کمیٹیوں کے فیصلوں پر- کسانوں- مزدوروں - پبلک اور ایکسپرٹ کی اس مانگ پر کہ شوگر انڈسٹری کا ٹوٹل نیشنلائزیشن ہونا چاہئے - عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے -

میں ابھی عرض کر رہا تھا - کہ شوگر انڈسٹری کے ذریعے سے کتنی ہی الائیڈ انڈسٹریز قائم کی جا سکتی ہیں - دوسرے ملکوں میں جہاں شوگر ملیں ہیں - وہاں صرف شوگر ہی تیار نہیں کی جاتی ہے گنے کی کھوئی اور میلے کو کام میں لیا جاتا ہے - ان سے کلرز اور کیمیکلز اور کئی دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں - لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں کیا جاتا ہے-

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا شوگر مل مالک یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پبلک کو چینی کی ضرورت ہے - بدقسمتی سے یہاں پراویٹ سیکٹر میں جو انڈسٹریز چل رہی ہیں - وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے - کہ پبلک کو کس چیز کی ضرورت ہے - اور اس کو نہیں بنایا گیا ہے - ہمارے یہاں شوگر ملوں کا کام صرف اتنا ہی بنا لیا گیا ہے کہ گنے میں سے رس نکالا - پکایا اور چینی بنائی - اور باقی کو پھینک دیا - اگر شکر کے را میٹیریل کو پورے طور پر کام میں لیا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنی الائیڈ انڈسٹریز اس کے ذریعے چل سکتی ہیں کہ شوگر مل نہیں شوگر کمپلیکس کھڑا ہو سکتا ہے - میلہ اور کھوئی وغیرہ جو چیزیں پھینک دی جاتی ہیں - ان کے ذریعے سے کتنی ہی چیزیں بن سکتی ہیں - کتنے ہی کارخانے لگ سکتے ہیں - لیکن یہ کام پرائیویٹ آدمیوں سے نہیں ہو سکتا ہے -

**شری مولچند ڈاگا** - اس کے لئے ایک کمیٹی بنا دی جائے -

**شری اسحاق سنبھلی** - کمیٹیز تو بہت بنی ہیں - اور جیسا کہ شری دربارا سنگھ نے کہا ہے - کمیٹی بنانے کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ کام کو ٹالنے کرتی جاتی ہے- آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی کمیٹیاں بنانے میں کونسی کمی رہی ہے - شوگر کے بارے میں کتنی ہی کمیٹیاں بنی ہیں - شوگر کے نیشنلائزیشن پر وچار کرنے کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئی - اور اس

(شری اسحاق سنبھلی)

پیدا کیا جائے - وہاں یہ دیکھا جاتا ہے - کہ کس چیز میں زیادہ منافع ہے - تاکہ اسی چیز کو زیادہ پیدا کیا جائے - اس لئے سرکار اس مسئلے کو موجودہ حالت میں حل نہیں کر سکتی ہے -

اگر سرکار واقعی واقعی شوگر ملوں کے مزدوروں اور گنا پیدا کرنے والے کسانوں کو راحت پہنچانا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ شوگر ملوں کو نیشنلائز کیا جائے- ویج بورڈ کی سفارشوں کو ماننے کے بعد دنوں دن مہنگائی بڑھ رہی ہے - دنوں دن شوگر ملوں کی کیپیسٹی کم کی جا رہی ہے - میں منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جرم نہیں ہے کہ جو چیز ہم یہاں پیدا کر سکتے ہیں - اس کی پیداوار میں کمی کی جائے- اپنی ملوں کو پورے طور پر کام میں لیا جائے - کیپیسٹی سے کم کام میں لیا جاتا کیا یہاں ایک قومی جرم نہیں ہے - جس کو شوگر ملوں کے مالکان رات دن کر رہے ہیں - اور چونکہ بہت کافی وہ اپنا دباؤ رکھتے ہیں - اگر رکھتے ہیں - میں نہیں کہنا چاہتا میرے بھائی نرسنگھ نارائن پانڈیہ نے اس بارے میں کافی کہہ دیا - اس لئے ان کو ہاتھ نہیں لگاتا - اب وقت آ چکا ہے - جب ہم اپنی پیداوار بڑھانے کے لئے اور دوسرے ملکوں میں اس ایکسپورٹ آئٹم کو اور زیادہ لے جانے کے لئے پہلے اپنے یہاں کی شکر انڈسٹری کو بہتر بنائیں- پہلے ہم اپنے یہاں کی شوگر ملوں کو نیشنلائز کر کے اس انڈسٹری سے جتنا دیش کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں - اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سجھاؤ بہت ہی صحیح ہے کہ انڈونیشیا - کیوبا اور دوسرے چینی پیدا کرنے والے دیشوں کو ساتھ لیکر ہندوستان ایک قدم اٹھائے - دنیا کے وہ دیش جنہوں نے آج تک - ان ڈیولپ دیشوں کو لوٹنا ہی جانا ہے - جن کا کام ایک ہی رہا ہے - کہ ان سے را میٹریل سستا لیتے رہیں اور ان کے کام کی چیز مہنگے داموں پر دیتے رہیں- ان کے ساتھ ٹھیک ڈھنگ سے پیش آنے کے لئے ہندوستان سبھی چینی پیدا کرنے والے دیشوں کو ساتھ لیکر قدم اٹھائے - آج ایران جو ہماری بغل کا آئل پیدا کرنے والا ایک دیش ہے - اس کے نمائندہ کی ایک بات کا ہمارے پاس جواب نہیں تھا- جب ان کے ساتھ دلی میں بات ہوئی- تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ضرورت کی چیزیں تو دس گنا اور بیس گنا قیمت پر پہنچ گئی ہیں - ہم یہ چیزیں مہنگی لیتے رہیں اور

پیٹرول اس بھاؤ پر دیتے رہیں - کیسے ممکن ہے - یہ آج ہی ہو رہا ہے - ایکسپورٹ کے لالچ میں ہمارے یہاں سے چینی سستی جا رہی ہے - اس لئے کہ ان اورگینائیزڈ ہے یہ انڈسٹری - اس لئے کہ پہلے ملک کے اندر اس کو لوٹا جا رہا ہے اور پھر پوری دنیا کے پیمانے پر اس کی لوٹ ہو رہی ہے -

اس لئے میں درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ راحت پہنچانے کے ساتھ ساتھ نہایت ضروری ہے کہ پوری انڈسٹری کو بغیر کمپنسیشن لے لیا جائے - کیا کمپنسیشن جو اتنا زیادہ لوٹ کر لے جا چکے ہیں ان کو کس بات کا کمپنسیشن اس لوٹ کا کیا ان کو بونس دیا جائیگا - جو انہوں نے کسانوں مزدوروں اور کنزیومرز کو لوٹا ہے - کیا اس کا بونس ان کو دیا جائیگا - نہیں اگر ان پر قرض ہے تو وہ ان سرمایہ داروں سے وصول کیا جائے - اگر کانسٹیٹیوشن میں کسی تبدیلی کی ضرورت تھی تو اس کی اجازت پارلیمنٹ نے دے دی - اگر اور ضرورت ہو گی تو یہ پارلیمنٹ اس میں کنجوسی نہیں کریگی - میں امید کرونگا کہ منتری مہودے اس بارے میں دیر نہیں لگائینگے - اب وہ وقت نہ آئے کہ ہم لوگ پھر سڑکوں پر آواز اٹھائیں - اور مظاہرہ کریں - اور سرکار کو شکایت ہو کہ شوگر انڈسٹری میں یہ کیا ہو رہا ہے - اس سے پہلے کہ شوگر انڈسٹری میں یہ باتیں ہوں - یہ بہت ضروری ہے کہ اس انڈسٹری کو نیشنلائیز کیا جائے اور اس انڈسٹری کو پوری دنیا کے پیمانے پر چینی پیدا کرنے والے ملکوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھایا جائے اس ساری دنیا کے پسے ہوئے اور دبے ہوئے ہندوستان کی ترقی کے لئے ایک ذریعہ بنایا جائے -

MR. CHAIRMAN: Order, Order. The debate will continue. Mr. Chandrappan was not present when his name was called for leave to introduce the Bill. He is permitted to do so now.

---

18.04 hrs.

## FOREIGN OWNED PLANTATIONS (NATIONALISATION) BILL*

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the nationalisation of all the foreign owned plantations in India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the nationalisation of all the foreign owned plantations in India."

*The motion was adopted.*

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I introduce the Bill.